



**AGRICULTURAL RESEARCH SUB-STATION
(AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR)
Near New Govt. Hospital, Bikaner Road
NAGAUR(RAJASTHAN)**

Phone-01582- 243134 (o)

E Mail-
arssnagaur1992@gmail.com

No. F.()Estt/ARSS/NGR/2019/ 359

Date: 30.05.2019

निविदा सूचना

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, एवं कृषि महाविद्यालय नागौर के फार्म पर वर्ष 2019-20 में हिस्सा आधारित बीज उत्पादन खेती करने के लिये मोहर बंद लिफाफे में निविदाएं (लगभग 5 लाख रुपये, कुल अक्षरे पांच लाख रुपये) आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक व्यक्ति निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विश्वविद्यालय वेब साइट www.ujodhpur.ac.in या राजस्थान राज्य लोक उपपन की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदादाता, धरोहर राशि रुपये 10000/- (अखरे दस हजार रुपये मात्र) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क 500/- रुपये (अक्षरे पांच सौ मात्र) दिनांक 15.06.2019 शनिवार को दोपहर 12:00 बजे तक बैंक ड्राफ्ट, रोकड या बैंकर चेक के साथ प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के नाम देय हो, संलग्न कर जमा करवा सकते हैं। यह निविदा उसी दिन दोपहर 1:00 बजे उन्हीं निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएंगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।


30/5/19
प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर
Officer Incharge
Agriculture Research Sub Station
Nagaur (Raj.)

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर

(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

क्रमांक एफ/ए.आर.एस.एस /नागौर/2019/359


दिनांक:-30.05.2019

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा (वर्ष 2019-20)

निविदा क्रम संख्या	क्रमांक एफ/ए.आर.एस.एस /नागौर/2019/ 359	दिनांक:-30.05.2019
निविदा प्रपत्र शुल्क	500/-रुपये	रसीद संख्यादिनांक:-
निविदा वर्ष	2019-20	
खेती की अनुमानित अवधि	जून 2019 से नवम्बर 2020 तक	
अनुमानित लागत	5,00,000/- रुपये	
परिशिष्ट संख्या-एक	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र	
परिशिष्ट संख्या-दो	हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें	
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	01.06.2019	
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	15.06.2019 दोपहर 12.00 बजे तक	
निविदा खोलने की तिथि	15.06.2019 दोपहर 01:00 बजे	
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर	
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर 341001	

नोट:-धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर में किसी भी कार्य दिवस में जमा कराई जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 15.06.2019 दोपहर 12:00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि रोकड़ या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो कि प्रभारी अधिकारी, कृषिअनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के नाम से देय हो, जमा करायी जा सकती है।

संलग्न:- निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें-


Official Incharge
Agriculture Research Sub Station
Nagaur (Raj.)

परिशिष्ट -1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र (वर्ष 2019-20)

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

निविदा क्रम संख्या	क्रमांक एफ/ए.आर.एस.एस./नागौर/2019/359 दिनांक:-15.05.2019 निब कोड
निविदा का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर वर्ष 2019-20 में बीजोत्पादन फसलों की खेती
खेती की अनुमानित अवधि	जून 2019 से नवम्बर 2020 तक
निविदादाता का नाम व पता दुरभाष नं..... आधार नं.....
धरोहर राशि का विवरण	रुपये 10000/- (अखरे दस हजार मात्र) (रोकड़/बैंक ड्राफ्ट) रसीद सं. दिनांक..... बैंक ड्राफ्ट सं. दिनांक..... बैंक का नाम शाखा.....

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के फार्म पर वर्ष 2019-20 में हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की पैदावार में दाना/बीज उपज में निविदादाता /ठेकेदार एवं कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर की हिस्सेदारी:-

क्र. सं	मौसम व वर्ष	निविदादाता / ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत में)	कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का हिस्सा (प्रतिशत में)	निविदादाता के हिस्से का उत्पादन कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर द्वारा क्रय करने पर औसत दर से देय भुगतान के अतिरिक्त राशि (बोनस 100 रुपये प्रति विव.)
1	खरीफ 2019			


30/5/19



हस्ताक्षर-निविदादाता (ठेकेदार)
निविदादाता का नाम.....
पता.....
.....
आधार नं.....


परिशिष्ट -2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु आवश्यक शर्तें

(निविदा शर्तों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् ही निविदा प्रस्तुत करें)

- 1 निविदा सीलबन्द लिफाफे में प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के नाम से देय हो तथा निविदा लिफाफे पर हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक 28.05.2019 दोपहर 12:00 बजे तक देय तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।
- 2 निविदा बॉलप्वाइंट नीली स्याही से हाथ से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत में) अंको व शब्दों में स्पष्ट लिखा होना चाहिये तथा किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ कोई अक्षर स्वीकृत नहीं होगा।
- 3 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
- 4 निविदा दरें वर्ष 2019-20 के लिए अनुमोदन के बाद उक्त समय अवधि के लिए मान्य होगी। कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के फार्म पर फसलोत्पादन वर्षा आधारित होता है।
- 5 निविदा के साथ 10000 रुपये की धरोहर राशि रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट, जो कि प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के नाम देय हो, प्रस्तुत करें। धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक एवम् समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। बैंक के रूप में धरोहर राशि स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 6 ट्रेक्टर संबंधी कार्य यथा डिस्क प्लाउ व कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात् इनसे डीजल खर्च व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नहीं होगा परन्तु इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होंगे।
- 7 बुवाई हेतु बीज व खाद की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, जुताई, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, खरपतवार निकालना, सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वयं ही करायेगा अर्थात् बुवाई से फसल काटने, फसल की चौकीदारी करने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरो में भरकर पैकिंग कर गोदान में तोलने तक की प्रक्रिया में लगने वाला समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।
- 8 फसल वृद्धि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंदनाशक, कीटनाशक व अन्य छिड़काव आदि की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा। परन्तु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे।
- 9 बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाएं जैसे निराई-गुड़ाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवाछित पौधों को निकालना) प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।
- 10 निराई-गुड़ाई व अन्य कृषि से सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोकें जाने का अधिकार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर को होगा।
- 11 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा तथा ठेकेदार इसके लिये बाध्य होगा।
- 12 फसलों की रखवाली करने की, समय पर निराई-गुड़ाई व जैविक दवाओं का छिड़काव/ भुरकाव तथा समय पर कटाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा।
- 13 ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि फार्म की सम्पत्ति (कृषि या अन्य) को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जायेगा।
- 14 धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा एवं ठेका समाप्ति पर राशि लौटा दी जायेगी।
- 15 फसल के दौरान निविदादाता स्वयं के पशु वगैरह फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से चारा आदि ले जाने दिया जायेगा। कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के फार्म पर उपलब्ध घास, तृण, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 16 निविदादाता (ठेकेदार) उक्त केन्द्र की भूमि पर किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करेगा तथा किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
- 17 निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना जाना करना होगा। किसी भी अवाछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।


30/5/19



18 हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढ़ाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषिअनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का होगा।

19 केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।

20 फार्म कार्य हेतु आवश्यक मरूनीनरी जैसे फायड़ा,कुदाली,गेती,खुरपी,दांतली आदि ठेकेदार को स्वयं लाने होंगे।

21 निविदादाता को वर्ष 2019-20 में बीजोत्पादन फसलोंकी खेती से प्राप्त उपज उक्त मौसमों की समय अवधि में समय पर जमा करानी होगी।

22 फार्म में उत्पादित बीज में से ठेकेदार के हिस्से को खरीदने का पहला हक कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय किया जाता है तो केन्द्र उसे उपज जमा कराने के तुरन्त पश्चात नागौर कृषि उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव से अतिरिक्त राशि (प्रतिशत में) जो कि निविदा स्वीकृति में देय है की दर से भुगतान करेगा। अन्यथा ठेकेदार अपना हिस्सा स्वयं ले जाने व बेचने को स्वतन्त्र होगा।

23 केन्द्र के फार्म पर बीजोत्पादन कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। इसमें केन्द्र कोई क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

24 बीज उत्पादन प्रक्रिया में फसल के चारे का हिस्सा 70 प्रतिशत ठेकेदार का होगा, 30 प्रतिशत केन्द्र के पास होगा। लेकिन ठेकेदार इसको दाने की पैदावार जमा कराने के बाद ही ले जा सकेगा।

25 अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन में लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

26 किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय,जोधपुर के ऑविश्ट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

27 किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर के पास सुरक्षित रहेगा।

मुझे निविदा की समस्त 27 शर्तें मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तों पर उक्त खेती करने के लिये सहमत हूँ।

निविदादाता/ठेकेदार के हस्ताक्षर

दिनांक.....

निविदादाता का नाम.....

पता.....

आधार नं.....

हस्ताक्षर कमेटी सदस्य

1

4

2

5

3


प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, नागौर
Officer Incharge
Agriculture Research Sub Station
Nagaur (Raj.)

